न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 19/2021

उनवान

(1) कंकु पत्नि स्व0 श्री अमृतलाल जाति ब्राहमण वगैरह निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) नीरज पिता स्व0 श्री अमृतलाल जाति ब्राहमण वगैरह निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

–: प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 22.3.2022

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण 01 व 02 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि गांव पालोदा, पटवार हल्का पालोदा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में खाता सं. 1414 (नई) 1253 (पुरानी) एंव खाता संख्या 286 (नया), 260 (पुराना) मे प्रार्थीगण के पति एवं पिता का वास्तविक नाम अमृतलाल ही दर्ज रिकार्ड है। अमृतलाल की मृत्यु पश्चात् राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का विरासती नाम दर्ज करने में राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटीवश प्रार्थीगण के पति व पिता अमृतलाल का नाम अमरजी दर्ज कर दिया तथा प्रार्थी नम्बर 02 का नाम निरजा कर दिया। उक्त राजस्व त्रुटी की वजह से रेकार्ड में अमरजी अंकित कर देने से प्रार्थीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से उक्त राजस्व त्रुटी को दुरस्त करना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारीयों से कई बार निवेदन किया परन्तु राजस्व कर्मचारी ध्यान नही दे रहे है। अप्रार्थी राजस्व रेकार्ड का संधारक है और प्रार्थीगण ने कई बार निवेदन किया परन्तु राजस्व अधिकारीयों द्वारा प्रार्थीगण के निवेदन पर कोई कार्यवाही नही की गई। प्रार्थीगण के खाते के राजस्व रेकार्ड मे हुई त्रुटी को दुरूस्त किया जाने धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत मौका–पर्चा में कथन किया गया कि ग्राम पालोदा की जमाबन्दी वर्ष 2075–78 की खाता सं. 746 व 1414 कुल रकबा 1.11 हे0 व 0.04 हे0 नीरज पिता स्व0 अमरजी व कंकु पत्नि स्व0 अमरजी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान–पत्र में प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम अमृतलाल दर्ज होने से प्रार्थीगण के पति व पिता के नाम में अमरजी के स्थान पर अमृतलाल शुद्धि किया जाने अनुशंसा की गई।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र [illegible] जाकर पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की खाता संख्या 746 (नई) [illegible] (पु[illegible] खाता संख्या 1414 (नई) 1253 (पुरानी) कंकु पत्नि स्व0 अमरजी, [illegible] व पिता का नाम अमृतलाल तथा पटवार हल्का [illegible] के मौजा ओडा [illegible] खाता संख्या 286 (नई) 260 (पुरानी) में दर्ज नीरजा के स्थान पर नीर[illegible] बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.3.2022 को सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.04.22 12:16:27 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,गढ़ी

Scanned by CamScanner